2018-19

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग,
(समाज कल्याण निदेशालय)

पंजीकरण प्रमाण–पत्र

संस्था (नाम) "पहला कदम" धनबाद, विस्तृत पता– नारायणी चैरिटेबल ट्रस्ट कांटा घर, ग्राम+पो० धनसार जिला–धनबाद, राज्य झारखण्ड 828106 के प्रबंधक (जिसे इसके पश्चात् पंजीकरण प्रमाण–पत्र का धारक कहा गया है) को इसके द्वारा दिनांक– 16.11.2018 से 15.11.2024 तक (दोनो दिन शामिल) की अवधि के दौरान उक्त संस्थान की स्थापना अनुरक्षण के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 51 (झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2018) तथा उसके नियमों के उपबंधों तथा उसके अन्तर्गत जारी आदेश के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है, अर्थात्

1. पंजीकरण प्रमाण–पत्र धारक संस्थान के आवासियों को ये सुविधाएँ प्रदान करेगा :–
   (क) पौष्टिक एवं पर्यात भोजन
   (ख) पर्याप्त आवास–स्थान एवं स्वच्छता
   (ग) उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल एवं उपचार
   (घ) मनोरंजन की सुविधाएँ
   (ङ) शिक्षा एवं व्यावसायिक या रोजगार प्रशिक्षण
2. लड़कियों के लिए आवासीय परिसर लडको के आवसीय परिसर से अलग होंगे।
3. पंजीकरण प्रमाण–पत्र धारक न तो स्वयं और न ही किसी अन्य व्यक्ति को तथा संस्थान के आवासी को अपने या किसी अन्य व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए लगाएगा।
4. पंजीकरण प्रमाण–पत्र धारक एक दंड रजिस्टर रखेगा तथा ऐसी स्थिति में उसमें दर्ज करेगा।
   (क) आवासीय का नाम
   (ख) दंड के कारण
   (ग) दंड का स्वरुप तथा अवधि
5. प्रबधक एक आगन्तुक पुस्तिका तैयार करवाएगा जिसमें संस्थान के निरीक्षण के लिए लाइसेंस प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संस्थान के निरीक्षण का अभिलेख रखा जायेगा। प्रबंधक लाइसेंस प्राधिकारी को उक्त पुस्तिका मे रिकार्ड अभियुक्तियों यदि कोई है, की एक प्रति दौरे की तिथि से सात दिन के भीतर भेजेगा।
6. प्रबंधक आय तथा व्यय की लेखा–पुस्तिकाओं तथा उपभोज्य वस्तुओं की स्टॉक पुस्तिकाओं का रख–रखाव निर्धारित प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्धारित रुप मे पुस्तकों तथा रजिस्टरों मे करेगा।
7. पंजीकरण प्रमाण–पत्र धारक सक्षम प्राधिकारी या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को जॉच करने के जिए सभी सुविधाएँ उपलब्ध करवाएगा, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के उपबधों के अनुसार होगा।
8. प्रमाण–पत्र, प्रबंधक के कार्यालय में स्पष्ट दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

9. पदाधिकारी में किसी भी परिवर्तन की सूचना सक्षम अधिकारी को तत्काल दी जाएगी।

10. पंजीकरण प्रमाण–पत्र दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के उपबंधों तथा पंजीकरण प्रमाण–पत्र शर्तों, नियमों तथा इसके अन्तर्गत सभी आदेशों का पालन करेगा। पंजीकरण प्रमाण–पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि संस्था द्वारा उपलब्ध करायें गए अभिलेख अगर बाद में असत्य पाये गये तो ऐसी स्थिति में संस्था का निबंधन समाप्त कर दिया जायेगा।

दिनांक– 16.11.2018

16.11.18

सक्षम प्राधिकारी

नवीकृत
दिनांक–.......................................से ....तक

सक्षम प्राधिकारी

नवीकृत
दिनांक–.......................................से ....तक

सक्षम प्राधिकारी

नवीकृत
दिनांक–.......................................से ....तक

सक्षम प्राधिकारी